न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/93/2025	2025/385	11.11.2025	19.01.2026

1. सुमेर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील अलवर, जिला अलवर (मृतक)
   1/1 श्रीमति शांतीदेवी बेवा स्वर्गीय सुमेर सिह,
   1/2 सुगन सिह पुत्र स्वर्गीय सुमेर सिह, (मृतक)
   1/2/1 श्रीमति कुसुमलता धर्मपत्नि सुगन सिह उम्र करीब 40 साल
   1/2/2 भविष्या पुत्री सुगन सिंह, आयु लगभग 15 वर्ष, नाबालिग सरपरस्त कुसुमालता,माता
   1/2/3 शान्ती देवी माता सुगन सिह, उम्र करीब 79 साल, निवासी जाति जाट, ग्राम कलसाडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर
   1/3 सुबेसिह पुत्र स्वर्गीय सुमेर सिह, जाति जाट, नि0 ग्राम कलसाडा, तह0 व जिला अलवर
   1/4 अंशुका पुत्री स्वर्गीय सुमेर सिह धर्मपत्नी महेश चन्द,
   1/5 हंसु पुत्री सुमेर सिंह, पत्नी राजेश चौधरी, जाति जाट, ग्राम मजरीभंडा, तहसील मुंडावर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. समुन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामलाल जाट, (मृतक)
   1/1—श्रीमति मूली देवी बेवा स्व० श्री समुन्दर सिह
   1/2—श्री सुमन पुत्री स्व० श्री समुन्दर सिह
   1/3—श्री मनीषा पुत्री स्व० श्री समुन्दर सिह
   1/4—श्री नीरज पुत्र स्व० श्री समुन्दर सिह जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुर तहसील बानसूर, जिला अलवर वारिसान काबिज जायदाद मृतक समुन्दर सिह
2. बलवीर सिंह पुत्र स्व० रामलाल जाट,
3. मानसिह पुत्र स्व० रामलाल जाट, (मृतक)
   3/1—अनिल कुमार पुत्र स्व. मानसिंह,
   3/2—अरविन्द चौधरी पुत्र स्व. मान सिंह,
   3/3—रीना पुत्री स्व. मान सिंह,
   3/4—सुशीला देवी पत्नी स्व. मान सिंह
   निवासी ग्राम रामपुर, तहसील बानूसर, जिला अलवर।
4. हुकुमसिह पुत्र स्व० रामलाल जाट,
5. रघुवीर सिंह पुत्र स्व० रामलाल जाट,
6. सुभाष पुत्र स्व० रामलाल जाट,
7. हवासिंह पुत्र स्व० रामलाल जाट,
8. कुमारी सरोज पुत्री स्व० रामलाल जाट, निवासी ग्राम रामपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर
9. महेन्द्र सिंह शास्त्री पुत्र ठाकुर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील अलवर, जिला अलवर, हाल निवासी मोतीडूंगरी, अलवर
10. सुभाष पुत्र स्वर्गीय प्रताप सिंह
11. सुमित पुत्र स्वर्गीय प्रताप सिंह (मृतक)
    निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील अलवर, जिला अलवर।
12. स्टेट ऑफराजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार अलवर

—अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01— ऋचा पाराशर —वकील प्रार्थीगण
02— श्री गणपत सिंह नरूका — वकील अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 8 व 10
02—श्री शैलेन्द्र भार्गव —वकील अप्रार्थी सं. 9

—:निर्णयः—

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में लंबित/विचाराधीन प्रकरण बउनवान सुमेर सिंह बनाम समुन्द्र सिंह प्रकरण सं. 2024/294 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 बाबत घोषणात्मक व हुक्मईम्नाई इस आशय का पेश किया हुआ है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के बुजुर्गों की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर वे सजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के लागू लोने से पूर्व से शान्ती पूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस मानकर विवादित आराजी के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है।

उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 जा० दी० का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्टे को विधि के प्रावधानो के विपरीत हटा दिया जावे ताकि वे गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी को बिना कब्जे प्रोपर्टी डीलर्स को विक्रय कर सके। प्रतिवादीगण खुलेआम यह कह रहे है कि वे स्थगन आदेश को गारण्टेड तरीके से हटवा देंगे। चूँकि उनकी रीडर महोदय से बातचीत हो चुकी है तथा वे येनकेन प्रकरेण स्थगन आदेश को हटाने की जुस्तजु में है। प्रार्थी ऋण एक कानून को मानने वाले ग्रामीण परिपेक्ष्य के व्यक्ति है जब उनके द्वारा रीडर महोदय से यह बात की गई तो उन्होने स्पष्ट कहा कि अधिकारी पर राजनैतिक दवाब है तथा तुम्हारे खिलाफ फैसला किया जावेगा। कानून का यह तयशुदा सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नही नही चाहिये बल्कि समस्त पक्षकारो को यह लगना चाहिये कि बी न्यायालय द्वारा न्यायकिया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण बअनुवान सुमेर सिह बनाम समुन्द्र सिह आगामी पेशी 07.11.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा, को किसी अन्य सक्षम न्यायाल में स्थानान्तरित किया जावे। वकील प्राथीगण द्वारा अपने समर्थन में RRD 1960 PAGE 152, RRD 1960 PAGE 153, RBJ (18) 2011 PAGE 556 न्यायिक दृष्टात पेश किए हैं।

अप्रार्थीगण अधिवक्तागण ने बहस के दौराने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। प्रार्थीगण मामले को लटकाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन "झूठे व गलत तथ्यों" के साथ दाखिल है, इसलिए खारिज किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रार्थना पत्र सिर्फ मुकदमे को लंबा करने और अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास है। अतः निवेदन किया है कि "प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठे, बेबुनियाद, अस्पष्ट और भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, इसे खारिज किया जाए।"

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पैरा सं. 01. स्वीकार है। पैरा सं. 02. व 4 प्रार्थी स्वंय सिद्ध करें। पैरा सं. 03. यह कि प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.08.2024 को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। पैरा 05. यह कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

है। यदि प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। शेष वादी स्वंय सिद्ध करें। पैरा 06. स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत है। यदि प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। पैरा 7. यदि प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। पैरा 08. न्यायालय श्रीमान से संबंधित है। पीठसीन अधिकारी द्वारा विशेष निवेदन अंकित कर कथन किया गया है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने नियत से पेश किया है। फिर भी श्रीमान उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया एवं उभय पक्षों के तर्कों तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा स्थानांतरण हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दवाब में हैं और रीडर से मिलीभगत है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं दिनांक 16.08.2024 को प्रार्थीगण के पक्ष में यथास्थिति का आदेश पारित किया है। यदि पीठासीन अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते या विपक्षी के प्रभाव में होते, तो प्रथम दृष्टया स्थगन आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में पारित नहीं किया जाता। यह तथ्य स्वयं प्रार्थीगण की आशंका को निर्मूल साबित करता है। मात्र रीडर के साथ हुई कथित बातचीत या "राजनैतिक दवाब" का मौखिक आरोप लगाना, बिना किसी ठोस प्रमाण के, एक गंभीर न्यायिक अधिकारी की निष्पक्षता पर संदेह करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वाद स्थानांतरण के लिए "उचित आशंका" होनी चाहिए, न कि अतिसंवेदनशीलता या काल्पनिक भय। न्यायालय द्वारा यदि पक्षकारों की मनमर्जी और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर मुकदमों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने लगा, तो यह "फोरम शॉपिंग" (Forum Shopping) को बढ़ावा देगा और अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव डालेगा।

अतः समग्र परिस्थितियों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह का कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। ऐसे आवेदन का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही में विलम्ब करना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में बिना किसी दवाब या पूर्वाग्रह के, गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही जारी रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान